बिहार सरकार

अनु0जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग

सं0–4/निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूतियॉ) 03–61–03/2015– 115

प्रेषक,

वीरेन्द्र कुमार,

निदेशक।

सेवा में,

जिला कल्याण पदाधिकारी

रोहतास/भभुआ/जमुई/भागलपुर

बाँका/पूर्णियां/कटिहार/प0 चम्पारण।

पटना–15, दिनांक– 11.07.17

विषयः **वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य स्कीम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति एवं अनु0 जन जाति कल्याण विभाग से संचालित अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं सामान्य छात्रावासों में अनुसूचित जनजाति के लिए सामग्री व पूतियॉ मद में ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रू0) मात्र का आवंटन।**

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्य योजना के अन्तर्गत अनु0जाति एवं अनु0जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु0जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं सामान्य छात्रावासों में सामग्री व पूतियॉ मद में अनु0 जनजाति के लिए कुल ₹ 200.00 लाख (दो करोड रू0) मात्र की निकासी एव व्यय की स्वीकृति पत्रांक–41 दिनांक–10.07.17 द्वारा प्रदान की है। आवंटित राशि से छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क–बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी0 भी0, पखा अग्निशमन यंत्र आदि का आपूर्ति किया जायेगा। तदनुसार संलग्न विवरणी के अनुसार सम्पूर्ण स्वीकृत राशि कुल ₹ 200.00 लाख (दो करोड़ रू0) मात्र आंवटित की जाती है।

3– आवंटित राशि का व्यय राज्य योजना मद से अनुसूचित जनजाति के लिए व्यय मुख्य शीर्ष "2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों और अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण–उप मुख्यशीर्ष–02–अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–लघु शीर्ष–277–शिक्षा– उपशीर्ष–0101–शिक्षा–विषय शीर्ष–0101. 2101–सामग्री एवं पूर्तियां–मांग संख्या–44–विपत्र कोड संख्या–44–2225022770101 के अन्तर्गत विकलनीय है।

4– इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित जिला के जिला कल्याण पदाधिकारी होंगे एवं नियंत्री पदाधिकारी, उपविकास आयुक्त होंगे। वर्तमान वित्तीय वर्ष–2017–18 में अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा संचालित अनु0 जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं सामान्य छात्रावासों में चौकी, मैट्रेस, डेस्क–बेंच, वाटर प्युरिफायर, कुर्सी, टेबुल, आलमीरा, बर्तन, खेल सामग्री, टी0 भी0, पंखा अग्निशमन यंत्र आदि के कय पर राशि का व्यय किया जाएगा। आवश्यक सामग्रियों का क्रय विभागीय पत्रांक–4323 दिनांक–7.06.2016 के आलोक में किया जाएगा। किसी भी परिस्थिति में राशि का विचलन नही किया जाएगा।

5– आवंटन के आलोक में राशि का व्यय किया जायेगा।

6– राशि की निकासी एवं व्यय वित्त विभाग के द्वारा निर्गत परिपत्र सं0–2561 दिनांक 17–4–98 तथा समय–समय पर वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा निर्गत अन्य पत्र/परिपत्रों में निहित निदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7– महालेखाकार, बिहार को इस राशि के व्यय से संबंधित अंकेक्षण करने का अधिकार होगा।

8– निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार व्यय के लेखा का मिलान महालेखाकार, बिहार द्वारा संधारित लेखा के साथ करेंगे।

9– राशि की समुचित एवं नियमानुसार उपयोग के लिए जिला कल्याण पदाधिकारी उत्तरदायी होगें तथा वे राशि के व्यय के पश्चात् व्यय विवरणी एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में उपलब्ध करायेंगे।

10– संबंधित पदाधिकारियों को इसकी सूचना दी जा रही है।

11– कृपया पत्र प्राप्ति की सूचना दी जाय ।

विश्वासभाजन

(वीरेन्द्र कुमार)

निदेशक ।

ज्ञापांक–4 / निदे0 छात्रावास(सामग्री एवं पूत्तियॉं)03–61–03 / 2015– 415 पटना, दिनांक– 14.07.17

प्रतिलिपि : (1) महालेखाकार, बिहार, वीरचंद पटेल पथ, पटना / वित्त विभाग, बजट शाखा / योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(2) जिला कोषागार पदाधिकारी, रोहतास / भभुआ / जमुई / भागलपुर / बाँका / पूर्णियां / कटिहार / प0 चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

(3) (i) सचिव, के प्रधान आप्त सचिव, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग / अवर सचिव, प्रभारी बजट शाखा, अनु0 जाति एवं अनु जनजाति कल्याण विभाग / लेखा शाखा अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, (दोहरी प्रति में) / आई0 टी0 मैनेजर, / प्रशाखा पदा0–5(निदे0), अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, सांख्यिकी कोषांग, अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(ii) सभी संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त / सभी संबंधित जिला पदाधिकारी / सभी संबंधित उप विकास आयुक्त / सभी संबंधित उप निदेशक, कल्याण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

निदेशक।

Allotment of SC-ST Hostel 17-18(FINAL)

वित्तीय वर्ष 2017–18 मे राज्य योजना अन्तर्गत अनुसूचित जनजाति आवासीय विद्यालयों के छात्रावासों एवं अन्य छात्रावासों में सामग्री एवं पूर्तियां मद के लिए आवंटित राशि

		राशि रूपया में
कमांक	जिला का नाम	सामग्री एवं पूर्तियां मद के लिए आवंटित राशि
1	2	3
1	रोहतास	2400000
2	भभुआ	5400000
3	पूर्णियां	2000000
4	कटिहार	1030000
5	भागलपुर	400000
6	बॉका	70000
7	जमुई	1200000
8	प0 चम्पारण	7500000
	कुल योग	20000000

(दो करोड़ रूपया मात्र)

पत्रांक 45 दिनांक 14.07.17 का अनुलग्नक

निदेशक
14/7/17